कार्यालय जिलाधिकारी संत कबीर नगर।
(खनिज अनुभाग)

संख्याः 1153 / खनन सहा0 / सं0क0न0 दिनांक 03 फरवरी, 2024

"सार्वजनिक विज्ञप्ति / ई–टेण्डर सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद संत कबीर नगर के तहसील धनघटा ग्राम चन्दौली माफी स्थित गाटा संख्या 197 पर भण्डारित साधारण बालू की मात्रा 205127घनमीटर को शासनादेश संख्या 2595 / 86–2018–12(सा0) / 2018 दिनांक 03.12.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार छः माह के अवधि के लिए ई–निविदा (ई–टेण्डर) के माध्यम से दिनांक 21.02.2024 समय पूर्वान्ह् 10:00 बजे से 27.02.2024 समय अपरान्ह् 05:00 बजे तक उक्त क्षेत्र से बालू हटाये जाने हेतु पोर्टल के माध्यम ई–निविदा (ई–टेण्डर) आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	स्थान (ग्राम व गाटा संख्या)	तहसील	जनपद	मात्रा (घनमी0 में)	रायल्टी की दर प्रति घनमी0	सकल धनराशि (5×6)	अर्नेस्ट मनी की धनराशि (सकल धनराशि का 25 प्रतिशत	साधारण बालू के निकासी की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चन्दौली माफी गाटा संख्या 197	धनघटा	संत कबीर नगर।	205127	65/–	1,33,33,255–00	33,33,314–00	छः माह

शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. उप खनिज निकासी की अवधि 06 माह की होगी। 06 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।
2. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स / कान्ट्रैक्टर्स / बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टीफाइंग एजेन्सी से टाइप–III का डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से **http://etenders.up.nic.in**पर आनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति / फर्म / कम्पनी को ई–निविदा **http:// etenders.up.nic.in** के पोर्टल पर उपलब्ध आनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स / कान्ट्रैक्टर्स / बेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेंगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

3. निविदादाता द्वारा आनलाइन निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करते समय **http://etenders.up.nic.in** पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

प्रारूप–2 की सूचनायें:

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञाप्ति किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 10,000/– का चालान संख्या व दिनांक

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक

छ. पैन कार्ड का कमांक

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्रः–

क. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु रू0 10,000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र

ग. पैन कार्ड ।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी,जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र,परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश मे पट्टाधारक/ परिहार धारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी,जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 21.02.2024 समय पूर्वान्ह् 10:00 बजे से 27.02.2024 को सायं 05:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल **www.etender.up.nic.in** पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जा सकेगी।

5. विज्ञप्ति के अनुसार सात दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 28.02.2024 को अपरान्ह् 1:00बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

6. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 28.02.2024 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) संत कबीर नगर में जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का कमांक अंकित करना होगा।

7. जिलाधिकारी को कोई कारण बताये उक्त ई–निविदा को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा। भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली उप खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवस के अन्दर अवशेष समी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।
9. निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वंय के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
10. ई–निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम रूप में जमा 25 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
11. ई–निविदा मे भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वंय आश्वस्त हो लें। ई–निविदा (ई–टेण्डर) में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
12. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगे।
13. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित रायल्टी दर रूपये 65/–घनमीटर है।
14. निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।
15. भण्डारण स्थल पर साधारण बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वंय आवेदक करेगा। ई–टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 28.02.2024 को अपरान्ह् 01:00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित समित के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।
17. सफल निविदादाता को देय निविदा धनराशि पर 2 प्रतिशत टी0सी0एस0, 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (डी0एम0एफ0) देय होगी।
18. सर्वोच्च व सफल निविदाकर की अर्नेस्ट मनी को छोडकर शेष निविदाकार की जमा अर्नेस्ट मनी को निविदा के अन्त मे वापस कर दिया जायेगा, सिवाय उसके जो अन्तिम रूप से चुने गये निविदा धारक द्वारा जमा किया गया हो, उसके मामले में बयाने की धनराशि के निविदा धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा।
19. निविदा तब तक स्वीकृत नही समझी जायेगी, जब तक यथा स्थिति राज्य सरकार या जिलाधिकारी उसे स्वीकार न कर लें।

20. निविदा के लिए अन्तिम रूप से चुने गये निविदाकार व्यक्ति को उक्त उप खनिज हटाने के लिए उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 में प्राविधानित नियमों के तहत ही परिवहन कार्य किया जायेगा।

21. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञप्ति मात्रा हटा न ली जाय, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

22. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

23. अन्य नियम एवं शर्तें:—जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(महेंद्र सिंह तंवर)
जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

पत्रांकः 1153 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को मय सी0डी0 सहित दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) संत कबीर नगर।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या स्थान अमेठी
6. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार संत कबीर नगर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
7. नाजिर कलेक्ट्रेट संत कबीर नगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जनपद के दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित समिति के सदस्यों व अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग लखनऊ से डी0एस0सी0 मैपिंग कराते हुए ई—टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सूनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

खनन अनुज्ञा– पत्र हेतु ई– निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण– किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई– निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञाप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञाप्ति में क्षेत्र का कमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थाई पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाइल नम्बर	
8	ईमेल आईडी	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम ख. जनपद का नाम ग. तहसील का नाम घ. खनन/भण्डारण क्षेत्र का नाम/ग्राम ड़. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या च. क्षेत्रफल (एकड़ में)	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड की कापी(पैन कार्ड की स्कैन काषी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र /घोषणा प्रमाण/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र /घोषणा प्रमाण/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।(चरित्र प्रमाण की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DINसंख्या (DIN की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची 01 में उपखनिज के लिये प्रचलित रायल्टी दर के गुणांक का 50 प्रतिशत (अर्नस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई– टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि .... बैंक का नाम व शाखा .... ड्राफ्ट का नम्बर ....

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपाई नही गई है तथा मै निविदा आमन्त्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार कता हूँ।

दिनांक–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Mahto
Date: 2024.02.14 13:15:12 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

खान निरीक्षक
संत कबीर नगर